

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)  
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णमालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2020

दायर दिनांक-27.7.2020

निर्णय दिनांक-11.01.2021

नटवरसिंह पिता मोतीसिंह जी राजपुत उम्र 49 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा त.साबला  
जिला डूंगरपुर :-प्रार्थी

बनाम

- 1 कालिया पिता गांगला मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा फला काटीया  
तहसील साबला जिला डूंगरपुर
- 2 श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब साबला तहसील साबला जिला  
डूंगरपुर

:- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 14(1)एलोटमेंट ऑफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर  
परपज नियम 1970

उपस्थित:-श्री लालसिंह चुण्डावत वास्ते निगरानीकर्ता

उपस्थित:- श्री चन्दुलाल बरंडा वास्ते विपक्षी सं. एक

उपस्थित :- विपक्षीगण सं. दो की और से राजकीय परोकार  
आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी सं. एकको भूमि  
आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा मिसल सं. 1759/76 के जरिए  
खसरा संख्या 87/64 रकबा छः बीघा सत्रह बिस्वा मौजा भेखरेड  
वर्तमान गाँव उम्मेदपुरा मे आवंटन हुआ है। विपक्षी सं. एक के द्वारा  
ग्राम भेखरेड तत्कालीन तहसील आसपुर हाल साबला मे  
स्थित भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 12.17 बारह बीघा सत्रह बिस्वा मे  
से 6.17 (छः बीघा सत्रह बिस्वा) पर प्रार्थी के पिता मोतीसिंह का  
कब्जा काश्त चला आ रहा था। उसके बावजूद विपक्षी सं. एक को  
भूमि का आवंटन गलत रूप से किया गया है। विपक्षी सं. एक द्वारा  
कपट एवम् दुर्व्यपदेशन के जरिए भूमि का आवंटन कराया गया है।  
आवंटन समिति द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है।

प्रार्थी की और से अपने प्रार्थनापत्र व कब्जे के समर्थन पत्र सं. 2040

अतिरिक्त जिला कलक्टर, 2042, की गिरदावरी पेश की है। एवम् प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्यों  
डूंगरपुर



का वर्णन करते हुए विपक्षी सं. एक के नाम पर किए गए आवंटन को निरस्त करना अंकित किया गया है।


प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी की गई। विपक्षी सं. एक की ओर से अपना जबाब प्रस्तुत किया गया विपक्षी सं. दो की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विपक्षी सं. एक की ओर प्रस्तुत जवाब के अनुसार अंकित किया गया कि आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा विपक्षी सं. एक का होकर उसके द्वारा ही भूमि पर काश्त की जाती आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही रूप से भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी सं. एक द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. एक को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं, प्रार्थी जोर जबरदस्ती विपक्षी की भूमि पर कब्जा करने आमादा होने से उसके विरुद्ध तहसीलदार साहब आसपुर को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, एवम् अन्य कथन अपने जबाब में अंकित किए हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान् के दस्तावेजात, उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अपने अपने अभिवचन तथा शपथ पत्र का अवलोकन, एवम् मनन किया गया एवम् उभय पक्षों की बहस समाप्त की गई।

विद्वान वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2040 से 2042 में खसरा नम्बर 64 के आगे प्रार्थी के पिता मोतीसिंह का कब्जाकाश्त अंकित होकर उनके द्वारा तिल की फसल बोनो का स्पष्ट अंकन है जिससे प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं. एक का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसी क्रम में प्रार्थी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके द्वारा अपने गाँव के ही रामसिंह, विरेन्द्रसिंह, शंकरसिंह, पुरीया, नानालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनके द्वारा प्रार्थी की बात का पूर्ण समर्थन किया गया है। जबकि विपक्षी की ओर से कोई ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र कागजों में एलोटमेंट की प्रक्रिया की गई है वास्तविक रूप से मौके पर कब्जा विपक्षी सं. एक को सुपुर्द नहीं किया गया है आज भी कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। इसके अलावा तहसीलदार साबला न्यायालय में विपक्षी की ओर से 183 बी राजस्थान काश्त


अतिरिक्त जिला कलकत्ता  
इन्दौर आधामयम की कार्यवाही भी विचाराधीन है। विपक्षी सं. एक द्वारा मौके



पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है । अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए जो निम्न हैं (1) आर.एल. डब्ल्यू 2002: बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान करणसिंह बनाम मेगा पेज 141 से पेज 143 (2) आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 369 से 373 करणसिंह बनाम मेगा (3) आर.आर.डी 1984 रहीम खान बनाम नुरमोहम्मद (4) आर.आर.डी. 2002 माननीय उच्च न्यायालय पेज सं. एक से चार (5) आर.आर.डी. 1990 पेज सं. 465 से 476 माननीय राजस्व बोर्ड अजमेर के सर्टिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत की है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. एक द्वारा अपनी बहस में अपने जबाब के तथ्यों को उल्लेखित करते हुए कथन किया कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है तथा विपक्षी सं. एक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और आवंटन को लगभग 44 वर्ष का समय हो चुका है , विपक्षी सं. एक की भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर विपक्षी सं. एक द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित करने के साथ साथ उसके द्वारा तहसीलदार साबला के न्यायालय में 183 बी आर.टी. एक्ट की कार्यवाही भी कर रखी है जो विचाराधीन है। आवंटन के पश्चात् से कब्जा विपक्षी सं. एक का ही चला आ रहा था तथा अभी कुछ वर्षों पूर्व जैसे ही प्रार्थी द्वारा कब्जा किया जाने लगा विपक्षी सं. एक द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है । प्रार्थी का पुराना कब्जा कभी नहीं रहा है। मात्र कुछ वर्षों की गिरदावरी से यह साबित नहीं हो जाता है कि कब्जा लगातार चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधि अनुसार आवंटन किया गया है जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी की ओर से पेश फोटो, साक्षीनामा व पर्चा मौका दिनांक 17.03. 2020 का पेश किया जाकर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि मौके पर कब्जा विपक्षी का है।

हमारे द्वारा उपभयपक्षों की बहस सुनी गई , पत्रावली पर आए दस्तावेजी साक्ष्य व अभिवचनों को पूर्ण रूप से देखा गया एवं न्यायिक दृष्टांतों का स-सम्मान अवलोकन किया गया। मौजा भेखरेड फला कोटिया हाल मौजा उम्मेदपुरा में स्थित खसरा न0 87/64 में से रकबा 6.17 ( छः बीघा सत्रह बिस्वा) भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न0 1759/76 के द्वारा अप्रार्थी न0 1 कालिया पिता गांगला मीणा को आवंटन की गयी। उक्त भूमि

पर प्रार्थी ने अपने कब्जा होना बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त




आदिवासी जिला कलेक्टर  
जयपुर

कराने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। चुकी उक्त आवंटन भूमि पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर लेने से अप्रार्थी की ओर से उक्त भूमि पर से प्रार्थी का कब्जा हटाने के लिए धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार साबला के न्यायालय में अप्रार्थी की ओर से प्रकरण पेश कर रखा है। जो अभी भी विचाराधीन रहते हुए इस प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है।

तहसीलदार साबला के न्यायालय में धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण विचाराधीन होना अप्रार्थी स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 8 में उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी को यह मालूम था कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण तहसीलदार साबला के न्यायालय में विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में उसने अन्तिम निर्णय पश्चात ही प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी और धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं करना चाहिए था साथ ही गांव कोटिया ग्रामवासियान (पंचों) के द्वारा सामुहिक रूप से लिखित में एक साक्षीनामा भी पेश किया है। जिसमें उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थी का ही कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थी न0 1 के नाम से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आसपुर तहसील आसपुर द्वारा मिसल नम्बर 1759/76 के द्वारा खसरा नम्बर 87/64 रकबा 6 बिघा 17 बिस्वा मौजा भेखरेड वर्तमान गाँव उम्मेदपुरा मे विपक्षी सं. एक को किया गया अवंटन आदेश यथावत ( बहाल ) रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(कृष्णपालसिंह चौहान)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

